झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393. Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक 13-E-5-12/2019:– दिनांक :–

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :– **एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खनन उत्तरी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– **आपका पत्रांक 6979 दिनांक 14.12.2019, पत्रांक 111 दिनांक 04.01.2020, पत्रांक 689 दिनांक 11.02.2020 एवं पत्रांक 1645 दिनांक 09.05.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना को अग्रसारित करने हेतु संचिका पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संचिका उनके कायोलय को भेजी गई थी। उनके द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा कर निम्नलिखित 9 बिन्दुओं पर निर्देश देते हुए उसका अनुपालन प्राप्त कर प्रस्ताव अग्रसारित करने हेतु निदेशित किया गया है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जानेवाला फॉर्म पार्ट–I के कंडिका B-1 में List of Proposal submitted in past में Nill दर्शाया गया है, जबकि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के Specific Recommendation में एन0टी0पी0सी0 पकरीबरवाडीह में 1026.438 हे0 का अपयोजन हाने के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न राजस्व विभाग से प्राप्त Authentic land schedule तथा संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के स्तर से प्राप्त Land Schedule ग्रामवार एवं मौजावार भूमि के किस्म की पुनः समीक्षा कर ली जाय। चूंकि कतिपय प्लॉट में संशय है।
3. प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि Species wise tree enumeration list में सभी Girth class मिलाकर परियोजना में लगभग 49053 वृक्षो के पातन की सम्भावना है। इतनी बड़ी संख्या के पातन को कम करने का प्रयोक्ता अभिकरण के पास क्या Plan है? प्रयोक्ता अभिकरण से वास्तविक पातन हाने वाले वृक्षों की सम्भावित संख्या कम करने का अनुरोध करें तथा उनका Plan संलग्न करें।
4. भारत सरकार के विभिन्न dedicated institute की एवं subject experts (जो वर्त्तमान में सरकार के dedicated institute में कार्यरत/empanelled है) की कमिटि की सहायता से Biodiversity conservation, Water conservation, Soil conservation, Integrated Wildlife Management Plan (Specific plan based on NKCP) का Plan प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बनाए जाने के प्रस्ताव का एक write up प्राप्त करें तथा संलग्न करें।
5. जिन प्रजाति के वृक्षों का पातन प्रस्तावित है, उन्ही प्रजाति के वृक्षों का Site Specific Plan Data किस तरह होगा? एक Proposal प्राप्त करें। क्षतिपूरक प्राक्कलन उस अनुरूप प्रस्तावित होना चाहिए। यदि आवश्यकता होगी तो उस प्राक्कलन के अनुमोदन हेतु सक्षम समिति को अनुरोध किया जाएगा।

6. Environmental clearance प्राप्त करने के समय उस क्षेत्र के अन्य Diversion को भी ध्यान में रखना होगा एवं पूर्व के Environmental clearance का अनुपालन हो रहा या नहीं?
7. CA Land का Working Circle उचित स्थल पर अंकित करें।
8. Recommendation में वन संरक्षक/वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने कई शर्तों एवं measure का उल्लेख किया है, जिनपर विचार किया जाना आवश्यक है। इनसे अधोहस्ताक्षरी सहमत है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी ने इस परियोजना को recommend किया है लेकिन recommend करने का कोई कारण नहीं बताया है।
9. एन0टी0पी0सी0 द्वारा उस क्षेत्र में अन्य Project (वन संरक्षण अधिनियम के तहत) में भारत सरकार के शर्तों के अनुपालन की स्थिति से भी भारत सरकार को (इस Proposal के साथ संलग्न कर) अवगत कराये। क्योंकि सभी Project के Effect को Integrated form में Consider करना आवश्यक है।

अतएव क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की मूल आठ प्रति एवं Online प्रस्ताव वापस की जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त

आपका विश्वासी
ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री असीम मिश्रा, अपर महाप्रबंधक (खनन), एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड, पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, पी0बी0सी0एम0पी0, पगमल रोड, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप अनुपालन प्रतिवेदन प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांकः– 1173   दिनांकः– 01.06.2020

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को दिनांक 29.05.2020 को संचिका पर दिये गये अनुमोदन के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/06/2020
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग
01.06.2020

\\INDIA\d\CFH\F.C. Act\NTPC pakaribarwadih coal block 331.198 ha\13-5-12-2019.docx